न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री बिरजू पुत्र श्री भौरी जाति जाटव निवासी बेरका तह कठूमर जिला अलवर (राज0)।

———सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

—— गैरसायल

प्रार्थना–पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :– 27.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि खाता संख्या 157 वाके ग्राम बेरका तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम ब्रजलाल पुत्र श्री बहोरी दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम बिरजू पुत्र श्री भौरी है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम ब्रजलाल के स्थान पर बिरजू दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने स्वयं का आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं ग्राम पंचायत बेरका की रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम बृजलाल के स्थान पर बिरजू दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, स्वयं के आधार कार्ड से खाता संख्या 157 रकवा 1.92 हैक्ट. वाके ग्राम बेरका तहसील कठूमर में बृजलाल के स्थान

पर बिरजू दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 157 रकबा 1.92 हैक्ट. वाके ग्राम बेरका तहसील कठूमर में बृजलाल के स्थान पर बिरजू दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)